

# न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 09/2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर

.....प्रार्थी

## बनाम

1. श्री अभिषेक पुत्र श्री अजय गोयल निवासी मोल बाजार, श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर पुलिस थाना श्रीगंगानगर,
2. श्री नरपत सिंह रावत निवासी ग्राम केसरपुरा मांगलियावास पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर
3. श्री सुमेर कुमार आचार्य पुत्र श्री लूणाराम निवासी कोटडी, तहसील कालायत, जिला बीकानेर हाल ग्राम ककलाना पुलिस थाना नसीराबाद
4. श्री सिद्धार्थ शर्मा निवासी ग्राम ककलाना तहसील अजमेर जिला अजमेर पुलिस थाना नसीराबाद सदर
5. श्री प्रशांत शर्मा निवासी ग्राम ककलाना, तहसील अजमेर जिला अजमेर पुलिस थाना नसीराबाद सदर

.....अप्रार्थी

उपस्थित :-

श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी परोकार सरकार

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आदेश

दिनांक- 22.09.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 06.01.2023 श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय जांच दल द्वारा खसरा नंबर 271, ग्राम ककलाना तहसील अजमेर पर पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय की सूचना पर मौके पर पहुंचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी। मौके पर परिसर की जांच में दो भूमिगत टैंकर प्रति टैंकर 20-20 के एल क्षमता के एक डिस्पेन्सिंग युनिट मय एक नोजल से जुड़े पाये और डिस्पेन्सिंग युनिट में 78 रूपये प्रति लीटर दर सेट करके पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री की जा रही थी। मौके पर श्री सुमेर कुमार पुत्र श्री लूणाराम से पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में दस्तावेज मांगे गये मांगे जाने पर श्री सुमेर ने दो बिल कमश बिल संख्या टी 318 दिनांक 28.12.2022 से 29810 के जी उप बिल संख्या टी 313 दिनांक 27.12.2022 से 26760 के जी उत्पाद Mix Hydrovarbom Oil For Industrial Oil Sue Only जरिए आपूर्ति कर्ता मैसर्स जय योगेश्वर पेट्रो केमिकल्स माल पर टा धोधा जिला भावनगर गुजरात से 45 रूपये प्रति किलो से खरीद करना दर्शाया है। श्री सुमेर कुमार से इस संबंध में जानकारी लेने पर इसने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ में केमिकल पाउडर मिलाकर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ 78 रूपये प्रति लीटर की दर से कम मालिक श्री अभिषेक के कहे अनुसार वाहनो में ईंधन के रूप में बिक्री करता है। मौके पर फर्म के परिसर में एक बड़ा टैंकर ट्राली वाहनो में ईंधन भरने में प्रयुक्त होने के उपकरण यथा जनरेटर इलेक्ट्रानिक मोटर विभिन्न आकार व मोटाई के प्लास्टिक पाईप कीप, माप ड्रम अप्रामाणित डिपसिंग डिजीटर इलेक्ट्रानिक नोजल युक्त मशीन एवं एक इलेक्ट्रानिक

जिला कलक्टर  
अजमेर

करेसी काउंटिंग मशीन व अन्य उपकरण पाये गये जिससे प्रमाणित होता है कि इस स्थान पर समान्तर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का पेट्रोल पम्प संचालित हो रहा है जिस पर वर्तमान बाजार दर 93 रुपये प्रति लीटर डीजल से कम कीमत 79 रुपये प्रति लीटर डीजल समकक्ष मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय किया जाना पाया गया है जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि के साथ पर्यावरणीय नुकसान एवं सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर मानवीय जीवन के लिए प्रबल दुर्घटनाकारक परिस्थितियां निर्मित हो रहीं हैं। वक्त मौका प्राप्त रिकार्ड व श्री सुमेर कुमार के बयान अनुसार श्री नरपत सिंह रावत निवासी केसरपुरा इससे अवैध मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ व व्यवसाय में लिप्त होना पाया गया। इस प्रकार मैसर्स अजय पेट्रोकैम फर्म एवं फर्म मालिक श्री अभिषेक गोयल मैनेजर सुमेर कुमार आचार्य एवं अन्य संबंधित श्री नरपत सिंह रावत, श्री सिदार्थ शर्मा/प्रशांत शर्मा द्वारा पेट्रोल एवं डीजल से भिन्न पेट्रोलियम पदार्थ का पेट्रोल व डीजल के समकक्ष मिलावट कर निर्धारित पेट्रोल एवं डीजल के मूल्यों के विरुद्ध काफी कम मूल्यों पर निजी लाभ हेतु विक्रय कर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। संबंधित का उक्त कृत्य मोटर रिफ्रैट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 व अन्य प्रवर्तित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय है। प्रकरण में पुलिस थाना नसीराबाद सदर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है एवं पुलिस अनुसंधान जारी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा अवैध रूप से भण्डारित मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 28728.56 लीटर एक बिना इंजन का चैंचिस टैंकर, आठ लोहे के ड्रम, 5 लीटर पीतल का मापक, एक हाईड्रोमीटर, चार पाने, एक जनरेटर, दो इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप व पम्प, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय तीन फ्यूज, एम्पीयर घड़ी, वोल्ट मीटर एक, क्वान्टेटिव इलेक्ट्रानिक ओवल गियर मीटर मय लोहे के पाईप रिपोन्सिंग मशीन मय नोजल विभिन्न लम्बाई व आकार के पाईप, दो रिंच पाने एवं एक इलेक्ट्रानिक करेसी काउंटिंग मशीन व केमीकल पाउडर केसररिया रंग को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 06.01.2023 श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा प्रवर्तन निरीक्षक व अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा खसरा नंबर 271, ग्राम ककलाना तहसील अजमेर पर पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी जिसमें मौके पर श्री सुमेर कुमार आचार्य पुत्र लूणाराम उम्र 26 साल उपस्थित मिला इन्होंने स्वयं को मैसर्स अजय पेट्रोकैम का मैनेजर होना बताया है तथा श्री अभिषेक गोयल पुत्र श्री अजय गोयल निवासी मोल बाजार श्रीगंगानगर का मालिक होना बताया। स्थान का मालिक सिद्धार्थ शर्मा/प्रशांत शर्मा ककलाना होना बताया। मौके पर परिसर की जांच में दो भूमिगत टैंकर प्रति टैंकर 20-20 के.एल. क्षमता के एक डिस्पॉन्सिंग युनिट मय एक नोजल से जुड़े पाये और डिस्पॉन्सिंग युनिट में 78 रुपये प्रति लीटर दर सेट करके पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री की जा रही थी। मौके पर श्री सुमेर कुमार पुत्र श्री लूणाराम से पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में दस्तावेज मांगे गये मांगे जाने पर श्री सुमेर ने दो बिल कमश बिल संख्या टी 318 दिनांक 28.12.2022 से 29810 के जी उप बिल संख्या टी 313 दिनांक 27.12.2022 से 26760 के जी उत्पाद Mix Hydrocarbom Oil For Industrial Oil Sue Only जरिए आपूर्तिकर्ता मैसर्स जय योगेश्वर पेट्रो केमिकल्स माल पर टा धोधा जिला भावनगर गुजरात से 45 रुपये प्रति किलो से खरीद करना दर्शाया है। टैंको में भरे पदार्थ को जुड़े हुए नोजल मशीन से निकालकर देखने व सूघने पर

जिला कलक्टर  
अजमेर

पेट्रोलियम पदार्थ के समकक्ष होना पाया जिसके संदर्भ में बी.पी.सी.एल के सेल्स अधिकारी द्वारा परीक्षण कर अवगत कराया कि यह मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ है इसका उपयोग वाहनों में इंजन के रूप में पेट्रोल डीजल के रूप में किया जा सकता है। मौके पर परिसर में मिलावट करने का केसरिया रंग का केमिकल पाउडर मात्रा लगभग 250 ग्राम पाया श्री सुमेर कुमार से इस संबंध में जानकारी लेने पर इसने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ में केमिकल पाउडर मिलाकर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ 78 रुपये प्रति लीटर की दर से कम मालिक श्री अभिषेक के कहे अनुसार वाहनों में ईंधन के रूप में बिक्री करता है। श्री सुमेर सिंह के पास मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रय की तीन हिसाब पुस्तिकाएँ प्राप्त हुई जिसमें अंकित हिसाब विवरण अनुसार नियमित रूप से वाहनों में ईंधन के रूप में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बिक्री किया जाता है। मौके पर फर्म के परिसर में एक बड़ा टैंकर ट्रॉली वाहनों में ईंधन भरने में प्रयुक्त होने के उपकरण यथा जनरेटर इलेक्ट्रॉनिक मोटर विभिन्न आकार व मोटाई के प्लास्टिक पाईप कीप, माप ड्रम अप्रामाणित डिपसिंग डिजीटर इलेक्ट्रॉनिक नोजल युक्त मशीन एवं एक इलेक्ट्रॉनिक करेसी काउटींग मशीन व अन्य उपकरण पाये गये जिससे प्रमाणित होता है कि इस स्थान पर समान्तर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का पेट्रोल पम्प संचालित हो रहा है जिस पर वर्तमान बाजार दर 93 रुपये प्रति लीटर डीजल से कम कीमत 78 रुपये प्रति लीटर डीजल समकक्ष मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय किया जाना पाया गया है जिससे राज्य सरकार का राजस्व हानि के साथ पर्यावरणीय नुकसान एवं सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर मानवीय जीवन के लिए प्रबल दुर्घटनाकारक परिस्थितिया निर्मित हो रखी है। वक्त मौका पाये गये मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सैम्पलिंग की गई एवं सैम्पल जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को भिजवाये गये। वक्त मौका अवैध पेट्रोलियम व्यवसाय पाये जाने पर अवैध रूप से भण्डारित मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 28728.56 लीटर एक बिना इंजन का चेचिस टैंकर, आठ लोहे के ड्रम, 5 लीटर पीतल का मापक, एक हाईड्रामीटर, चार पाने एक जनरेटर, दो इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप व पम्प एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय तीन फ्यूज एम्पीयर घडी व वोल्ट मीटर, एक क्वान्टेटीव इलेक्ट्रॉनिक ओवल गीयर मीटर मय लोहे के पाईप, डिस्पेन्सिंग मशीन मय नोजल विभिन्न लम्बाई व आकार के पाईप, दो रिंच पाने, एक इलेक्ट्रिक करेसी काउटींग मशीन व केमिकल वाउडर केसरिया रंग को फर्म मैनेजर श्री सुमेर कुमार से राज्यहित में कब्जेराज लिये जाकर हूबहु यथास्थिति मौके पर मौजूद जाप्ता पुलिस थाना नसीराबाद सदर को सुरक्षार्थ माननीय न्यायालय राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक सुपुर्दगी में दिया गया। वक्त मौका प्राप्त रिकार्ड व श्री सुमेर कुमार के बयान अनुसार श्री नरपत सिंह रावत निवासी केसरपुरा इससे अवैध मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ व व्यवसाय में लिप्त होना पाया गया। मौके पर श्री नरपत सिंह रावत उपस्थित हुआ और मौके पर स्वयं का नाम जांच दायरे में आने की बात जानकर मौके से अपनी महिन्द्रा एक्स यू वी सफेद रंग आर.जे.01 यू. सी 5660 को लेकर जांच दल के पुलिस कांस्टेबल राजेन्द्र कानि 1059 को छिटक कर गेट तोड़कर भाग गया। इस प्रकार मैसर्स अजय पेट्रोकेम फर्म एवं फर्म मालिक श्री अभिषेक गोयल मैनेजर सुमेर कुमार आचार्य एवं अन्य संबंधित श्री नपत सिंह रावत, श्री सिद्धार्थ शर्मा/प्रशांत शर्मा द्वारा पेट्रोल एवं डीजल से भिन्न पेट्रोलियम पदार्थ को पेट्रोल व डीजल के समकक्ष मिलावट कर निर्धारित पेट्रोल एवं डीजल के मूल्यों के विरुद्ध काफी कम मूल्यों पर निजी लाभ हेतु विक्रय कर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। संबंधित का उक्त कृत्य मोटर सिप्रट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 व अन्य प्रवर्तित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय है। प्रकरण में पुलिस थाना नसीराबाद सदर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है एवं पुलिस अनुसंधान जारी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा अवैध रूप से भण्डारित मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 28728.56 लीटर एक बिना इंजन का चेचिस टैंकर, आठ लोहे के ड्रम, 5 लीटर पीतल का मापक, एक हाईड्रामीटर, चार पाने, एक जनरेटर, दो इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप व पम्प, एक

जिला कलक्टर  
अजमेर

इलेक्ट्रिक बोर्ड मय तीन फ्यूज, एम्पीयर घड़ी, बोल्ट मीटर एक, क्वानटेटिव इलेक्ट्रानिक ओवल गीयर मीटर मय लोहे के पाईप रिपोन्सिग मशीन मय नोजल विभिन्न लम्बाई व आकार के पाईप, दो रिंच पाने एवं एक इलेक्ट्रानिक करेसी काउटिंग मशीन व केमीकल पाउडर केसररिया रंग को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से दिनांक 22.2.2023 को जरिये अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी एवं दिनांक 12.04.2023 को अप्रार्थी 5 की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी अभिभाषक उपस्थित आये। जिस हेतु दिनांक 12.04.2023, 14.6.2023 व 26.7.2023 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 23.8.2023 को जवाब हेतु अंतिम मौका दिया गया। दिनांक 13.07.2023 को अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये जाने से जवाब बन्द किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार की सूचना पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा बाद जाँच पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डारण एवं अवैध कारोबार कर मोटर रिप्रट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 व अन्य प्रवर्तित प्रावधानों जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय है। उल्लंघन पाया जाने पर मौके से पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 28728.56 लीटर एक बिना इंजन का चेचिस टैंकर, आठ लोहे के ड्रम, 5 लीटर पीतल का मापक, एक हाईड्रोमीटर, चार पाने, एक जनरेटर, दो इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप व पम्प, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय तीन फ्यूज, एम्पीयर घड़ी, बोल्ट मीटर एक, क्वानटेटिव इलेक्ट्रानिक ओवल गीयर मीटर मय लोहे के पाईप रिपोन्सिग मशीन मय नोजल विभिन्न लम्बाई व आकार के पाईप, दो रिंच पाने एवं एक इलेक्ट्रानिक करेसी काउटिंग मशीन व केमीकल पाउडर केसररिया रंग मौके से जब्ती की कार्यवाही की गई है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नहीं किये गये हैं, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। वरवक्त जांच जिला रसद अधिकारी अजमेर को अप्रार्थी का पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 28728.56 लीटर उक्त स्थान से पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार किये जाने की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामग्री पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 28728.56 लीटर एक बिना इंजन का चेचिस टैंकर, आठ लोहे के ड्रम, 5 लीटर पीतल का मापक, एक हाईड्रोमीटर, चार पाने, एक जनरेटर, दो इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप व पम्प, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय तीन फ्यूज, एम्पीयर घड़ी, बोल्टमीटर, एक क्वानटेटिव इलेक्ट्रानिक ओवल गीयर मीटर मय लोहे के पाईप रिपोन्सिग मशीन मय नोजल विभिन्न लम्बाई व आकार के पाईप, दो रिंच पाने एवं एक इलेक्ट्रानिक करेसी काउटिंग मशीन व केमीकल पाउडर केसररिया रंग को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात के आदेश दिये जाते हैं। जब्तशुदा 28728.56 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री जिला रसद अधिकारी अजमेर सम्बन्धित रसद विभाग के निर्देशानुसार नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें और निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भारती दीक्षित)  
जिला कलक्टर, अजमेर।